न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 65/18

1. हरसहाय पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मृतक)
   1/1. तारादेवी पत्नि हरसहाय
   1/2. कमलेश पुत्र हरसहाय
   1/3. सरोज पुत्री हरसहाय सभी जातियान ब्राहम्ण निवासीयान चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. संतरा पत्नि प्रहलाद
2. शिमला पत्नि अवध बिहारी जातियान ब्राहम्ण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुरसिटी मु0न0 127/10 निर्णय दिनांक 19.11.10)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री रामदयाल त्रिवेदी
2. रेस्पोडेटान की और से श्री मो0इस्लाम

निर्णय

दिनांक 03.03.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 127/10 निर्णय दिनांक 19.11.10 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रामसहाय पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 केम्प चूली तहसील गंगापुर सिटी मे एक वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हरसहाय वगै0 के संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा चूली मे स्थित है जिसके ख0न0 1397 रकबा 1.66 है0, 1429 रकबा 0.24 है0, 1430 रकबा 0.21 है0, 1738 रकबा 0.44 है0 एवं 1739 रकबा 0.50 है0 है। उक्त संयुक्त रूप से धारित भूमि का हम वादी एवं प्रतिवादीगण हरसहाय वगै0 ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण हरसहाय वगै0 अपने अपने हिस्से पर पृथक पृथक काबिज है एवं काश्त कर रहे है। राजस्व अभिलेख मे उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण हरसहाय वगै0 की संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। प्रतिवादी हरसहाय वगै0 भविष्य मे कभी भी इस मौखिक बंटवारे को चुनौती देकर दखलंदाजी कर विवाद उत्पन्न कर सकते है। अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरसहाय के मध्य आपसी [illegible] किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्व अभिलेख मे विभाजन [illegible] कराया जावे तथा [illegible] मे तरमीम के साथ पक्षकारान को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रामसहाय का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी /अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:59:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यो एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। भूमि विभाजन के दावे मे प्राथमिक डिक्री तैयार करने के पश्चात स्कीम मंगवाई जाती है तथा स्कीम कब्जे के आधार पर तैयार की जाती है। जिससे भूमि के कुरेजात तैयार किये जाते है। किस व्यक्ति का किस भूमि पर कब्जा है इसका विभिन्न रंगो से चित्रण किया जाता है। ऐसा इस प्रकरण की अनुपालना मे नही हुआ है। हरसहाय व रामसहाय दो भाई है। जिसका जहॉ कब्जा होता है उसे ही बंटवारे मे नाम किया जाता है। ख0न0 1430 पर रामसहाय का कब्जा था उसे हरसहाय को दे दिया गया। ख0न0 1429 पर हरसहाय का कब्जा अनुसार नाम होना चाहिए था जिसे रामसहाय को दे दिया गया। रामसहाय ने अपनी दो पुत्र वधुओ सन्तरा व शिमला के नाम कर दिया गया। बंटवारा स्कीम तैयार नही हुई है। यह कि अपीलांट को 1.52 है0 भूमि ही दी गई है जबकि रामसहाय वादी को 1.53 है0 भूमि दी गई है। इस प्रकार भी विभाजन पूर्णरूप से आधा नही हुआ है। लगान का विभाजन भी ठीक प्रकार से नही हुआ है। कागजात दावा देखने से प्रकट है कि दावा 19.11.10 को पेश हुआ उसी दिन जबाब दावा पेश हुआ व उसी दिन बंटवारा होना बताते हुए दावे का निर्णय कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि महज खानापूर्ति की गई है। कोई वैधानिक कार्यवाही अमल मे नही लाई गई है। खेतो पर पहुॅच कर स्कीम नही बनाई गई है। जैसा कि पूर्व मे निवेदित किया है कि कब्जे के आधार पर कोई डिक्री नही बनी, केवल खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर यह निर्णय तैयार हुआ है। रामसहाय प्रतिवादी की मृत्यु होने के कारण विवादित भूमि के वर्तमान खातेदार सन्तरा व शिमला होने के कारण अपील मे प्रत्यर्थी बनाया गया है। इस त्रुटि पूर्ण निर्णय का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 12.6.18 को प्रहलाद व अवध बिहारी के बताने पर मालुमात कर दिनांक 13.6.18 को नक़ल की दरख्वास्त लगाने व दिनांक 14.6.18 को नकल मिलने पर हुआ। ज्ञान होने पर अपील अन्दर मियाद मय धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि रेस्पो0 के पिता एवं अपीलांट हरसहाय वगै0 के संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा चूली मे स्थित है जिसके ख0न0 1397 रकबा 1.66 है0, 1429 रकबा 0.21 है0, 1738 रकबा 0.44 है0 एवं 1739 रकबा 0.50 है0 है। उक्त संयुक्त रूप से भूमि का हम रेस्पो0 के पिता एवं अपीलांटान हरसहाय वगै0 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था तथा रेस्पो0 के पिता एवं अपीलांटान हरसहाय वगै0 अपने अपने हिस्से पर पृथक पृथक काबिज है तथा काश्त कर रहे है। राजस्व अभिलेख मे उक्त भूमि रेस्पो0 के पिता एवं अपीलांटान हरसहाय वगै0 की संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। अपीलांट हरसहाय वगै0 भविष्य मे कभी भी इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मौखिक बंटवारे को चुनौती देकर दखलअंदाजी कर विवाद उत्पन्न करने की आंशका होने पर रेस्पो0 के पिता द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार एवं बहामी बंटवारे अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर अपीलांटान द्वारा राजस्व केम्प चूली मे सहमति प्रकट करते हुए अपने हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर हिस्से अनुसार बराबर बराबर बंटवारा किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। बरूए राजीनामा बंटवारा हुआ है। इस कारण अपील योग्य नही है। आपसी सहमति से यदि कोई डिक्री पारित की जाती है जो उक्त डिक्री को फ्रडूलेन्सी उसी अदालत मे आदेश 23 नियम 3 ए सीपीसी के तहत चेलेन्ज किया जा सकता है। आपसी सहमति की अपील अपीलांट द्वारा गलत रूप से पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज़ फरमाई जावे। न्यायिक दृष्टांत 1996 डी.एन.जे. (राज) पेज 355 पेश की है।

उभय पक्षो की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम चूली के खतौनी संख्या 545 के अनुसार ख0न0 1397,1429,1430,1738 व 1739 रामसहाय ,हरसहाय पिसरान छीतर ब्राहम्ण सा.देह के नाम अंकित है। दिनांक 19.11.10 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 केम्प चूली मे रामसहाय पुत्र छीतर ने रामसहाय बनाम हरसहाय दावा अन्तर्गत धारा 53 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत करने बंटवारा खातेदारी आराजी के प्रस्तुत किया। उसी दिन अपीलांट(मृतक) हरसहाय द्वारा जबाब दावा मय दो गवाहो के पेश किया, जिसके साथ आपसी सहमति से बंटवारा की तालिका प्रस्तुत की है। इस पर रामसहाय व हरसहाय दोनो के हस्ताक्षर है साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत चूली , पटवार हल्का व तहसीलदार के हस्ताक्षर है। इसी के अनुरुप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.10 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। बंटवारा दोनो पक्षो /खातेदारो की सहमति से किया गया है। बंटवारा के साथ संलग्न नक्शे मे स्पष्ट तौर पर विवादित आराजी का विभाजन लाल स्याही से अंकित किया गया है। नक्शे पर भी दोनो पक्षो/खातेदारान के हस्ताक्षर है। सहमति के आधार पर किये गये विभाजन किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टव्य नही होती है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण 127/2010 निर्णय दिनांक 19.11.10 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman .
Date: 2021.01.14 15:59:06 IST
Reason: SelfAttested

3.3.20

(बी.एल. [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner